

प्रेषक,

डा० आर० राजेश कुमार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

चिकित्सा शिक्षा विभाग,

उत्तराखण्ड देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-06

99/XXVIII(6)23

देहरादून: 08 अगस्त, 2023

विषय: उत्तराखण्ड राज्य में निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल संस्थानों में सीट वृद्धि एवं नये पाठ्यक्रम संचारित करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागाध्यक्ष/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में संख्या:- 321/XXVIII(6)-2022-01(पैरा)/2022 दिनांक 29 जुलाई, 2022 के माध्यम से गठित समिति की बैठक दिनांक 15.06.2023 में प्राप्त संस्तुतियों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइन्सेज, श्यामपुर कांगड़ी, हरिद्वार को बी०एम०एल०टी०-30 (नवीन पाठ्यक्रम), बी०पी०टी०-30 (नवीन पाठ्यक्रम) सीट के साथ प्रारम्भ किये जाने की अनापत्ति शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एतद्वारा समयक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. आदेश निम्न होने की तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र पैरामेडिकल संस्थान के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद से मान्यता लेने की समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी। निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के समय यदि संस्थान में कतिपय/आंशिक कमियां पायी गयी हैं, तो शासनादेश संख्या 576/XXVIII(1)2015-16(पैरा०)/2014 दिनांक 13 अगस्त, 2015 द्वारा निर्धारित मानकों के आलोक में कमियों को पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात ही उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद एवं हे०न०ग० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति/मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाए।
2. संस्थानों का जिन पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रदान की जा रही है, यदि संस्थान के द्वारा उन पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिये जाने हेतु शासन स्तर से पुनः अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।
3. पैरामेडिकल संस्थान द्वारा बिना पाठ्यक्रमों के संचालन की अनापत्ति प्राप्त किये एवं बिना विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये छात्र/छात्राओं को पूर्व प्रवेश दिया जाना असंवैधानिक है। ऐसे संस्थानों पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. राज्य सरकार शैक्षणिक सत्र के दौरान कभी भी, जैसा कि यथासमय उचित समझे पैरामेडिकल संस्थान का निरीक्षण करायेगी। यदि निरीक्षण में कमियां पायी जाती है, तो संस्तुति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर विचार करेगी।

144748/2023

5. जिस संस्थान के पास स्वयं का चिकित्सालय है, अपने द्वारा संचारित संस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी संस्थान को क्लीनिकल मैटिरियल, अपने टीचिंग चिकित्सालयों की शैय्याएँ आदि की सम्बद्धता नहीं देंगे, जिससे कि इस संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राओं को समुचित प्रैक्टिकल करने की सुविधा मिले तथा व्यवसायिक वातावरण बना रहे।
6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश एवं पूर्व निर्धारित नियमों का पालन किये जाने की बाध्यता होगी।
7. संस्थान उतनी ही सीटों पर प्रवेश दे सकेंगे जितनी सीटों के संचालन की अनापत्ति प्रदान की जा रही है।
8. यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो शासन द्वारा निर्गत अनापत्ति को निरस्त कर संबंधितों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
9. अनापत्ति विस्तारीकरण की कार्यवाही यथासमय नियमतः पूर्ण कर ली जाए।
10. जिन संस्थानों के पास स्वयं का भवन/चिकित्सालय नहीं है, उन्हें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से दो साल के अन्दर स्वयं का भवन/चिकित्सालय अनिवार्य रूप से बनाना होगा।
11. उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 08-08-2023 13:31:31

(डा० आर० राजेश कुमार)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. कुल सचिव, हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद, देहरादून।
6. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी, देहरादून।
7. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड स्टेट डेन्टिस्ट ट्रिब्यूनल, देहरादून।
8. प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, संबंधित संस्थान।
9. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Richa
Date: 08-08-2023 13:54:22